संख्या-32/2024/1189/60-1-2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 23 सितम्बर, 2024**

विषय:- जनपद-महोबा में निर्माणाधीन राजकीय महिला शरणालय के अग्रेतर भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1110/निदे0म0क0/अनुदान/रा0म0श0-भ0नि0/2024-25, दिनांक 05.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-महोबा में निर्माणाधीन राजकीय महिला शरणालय के अग्रेतर भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-001/720/60-1-2022, दिनांक 17.08.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महोबा में निर्माणाधीन राजकीय महिला शरणालय के अग्रेतर भवन निर्माण हेतु प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत रू0 915.00 लाख (रूपये नौ करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्तमान आय-व्ययक 2024-25 के अनुदान संख्या-49 के पूँजीगत पक्ष में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-05-राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि से निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-229/दस-2024-231/2024, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 के शर्तों तथा अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था उपरोक्त परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि को किसी भी अन्य प्रयोजन पर व्यय नहीं करेंगे।

(3) कार्यदायी संस्था कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करेंगे।

(4) कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य की गुणवत्ता का Third Party Evaluation कराया जायेगा और कार्यदायी संस्था उच्च गुणवत्ता के कार्य का प्रमाण-पत्र निदेशक, महिला कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

(5) निदेशालय के जिला स्तर पर तैनात अधिकारी निरन्तर कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रति सप्ताह निदेशक, महिला कल्याण को उपलब्ध करायेंगे व निदेशक प्रति सप्ताह कार्य की भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे। कार्य न होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था किसी भी स्थिति में Parking of Funds न कर सके।

(6) वित्तीय मितव्ययिता व वित्त विभाग के जारी शासनादेशों के अनुपालन का समस्त उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त अधिकारी का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था ब्याज की अर्जित धनराशि का विवरण निदेशक, महिला कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

(8) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य का सत्यापन कराया जायेगा।

(9) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा साथ ही योजना की गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(14) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग भी किया जायेगा।

(16) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रकरण के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन्स एवं समय-समय पर सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक 4235021030500 राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-32/2024/1189(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।